पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0 –3–37/2012–46(सा० अनु०)/आ०प्र० दिनांक 27.08.2012 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–117–पशुधन क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष–0003–**जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव,** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021170003 के मद में 1.73 (एक लाख तिहतर हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 925/आ०प्र० दिनांक 03.09.2012 से अंचल अधिकारी, मनेर के पत्रांक 1576 दिनांक 01.07.2011 में यथावर्णित स्वीकृत अभिलेख संख्या 03/2010–11एवं अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर के पत्रांक 92 दिनांक 07.05.2012 के आलोक में उपावंटित किया गया। पुनः अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0 –3–37/2012–77/आ०प्र० दिनांक 04.01.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–117–पशुधन क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष–0003–**जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव,** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021170003 के मद में 0.25 (पच्चीस हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2012–13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39, यूनिट कोड–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा।

(राशि : लाख रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, मनेर	**0.73**	**0.00**	**0.73**
02.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	**1.00**	**0.00**	**1.00**
03.	अंचल अधिकारी, मोकामा	**0.00**	**0.10**	**0.10**
	कुल उपावंटित राशि :–	**1.73**	**0.10**	**1.83**
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि			**0.15**
	कुल योग :–			**1.98**

1. यह उपावंटन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–117–पशुधन क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष–0003–**जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव,** विपत्र कोड संख्या एन० 2245021170003 के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय भूमिसुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के पत्रांक 537 दिनांक 26.07.2012 में अंचलाधिकारी, मोकामा के यथावर्णित स्वीकृत अभिलेख संख्या 01/2012–13 के आलोक में अग्निकांड से मृत पशुओं के मुआवजा अनुदान मद में किया जायेगा। अंचल अधिकारी, मोकामा

भली भांति जांच एवं सम्यक सत्यापनोपरांत स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत राशि का भुगतान करेंगे तथा इसकी सूचना अविलंब इस कार्यालय को भी देंगे।

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी० 2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2013 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-22/2013 119 /आ०प्र०, दिनांक 06/02/2013

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, मोकाम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Awantan